(GI-2, GI-6, GI-7, VI-1, VDI-1, DRIVE & FMT)

DATE: 23.07.2023 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

CORPORATE AND OTHER LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 & 2 is compulsory.
Candidates are also required to answer any three questions from the remaining Four Questions.

DIVISION A (30 MARKS)

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

Answer 1:

1. 1.1 Ans. D
   1.2 Ans. A
   {2 M Each}
2. Ans. d
3. Ans. c
4. Ans. a
5. Ans. c
6. Ans. b
7. Ans. b
8. Ans. c
9. Ans. d

   {1 M Each}
10. Ans. d
11. Ans. d
12. Ans. c
13. Ans. d
14. Ans. d
15. Ans. d
16. Ans. a
17. Ans. c
18. Ans. d

    {2 M Each}

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.
Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

DIVISION B (70 MARKS)

Answer 2:

(a) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कम्पनी जिसने प्रविवरण जारी करके जनता से धनराशि प्राप्त की है, और अभी तक उस धन राशि का प्रयोग नहीं किया, वह अपने उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं कर सकती, जब तक कि कम्पनी विशेष प्रस्ताव पारित न कर दें तथा

(i) प्रस्ताव से संबंधित जानकारी कम्पनी को एक अंग्रेजी अखबार तथा एक स्थानीय भाषा के अखबार में छपवानी होगी जो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय की जगह पर चलता है और साथ में कम्पनी के वेबसाईट पर भी अपलोड करनी होगी जिसमें परिवर्तन करने का कारण बताया हुआ रहेगा।

(ii) असहमत अंशधारियों को सेबी के दिशा निर्देशानुसार निकासी प्रस्ताव देना पड़ेगा।

{3 M}

कम्पनी को विशेष प्रस्ताव के प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल करनी पड़ेगी, और वह भी 30 दिन के अंदर तभी यह परिवर्तन प्रभावी माना जायेगा, जब पंजीकार प्रमाण पत्र हमें दे देगा। **{1 M}**

उपरोक्त प्रावधानों को आधार बनाते हुए हम कह सकते हैं कि कम्पनी उपरोक्त बताई गई आवश्यकताओं को पूरा कर दे तो वह अपने उद्देश्य में परिवर्तन कर सकती है। **{1 M}**

Answer:

(b) यदि ऋणदाता प्रतिभू की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन कर लेता है तो प्रतिभू अनुबंध की तिथि के बाद होने वाले व्यवहारों के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। **{$2^{1/2}$ M}**

इस विवाद में Y, X द्वारा पहले 9 माह के दौरान किए गए गबन के लिए उत्तरदायी है तथा 9 माह के बाद के गबन के लिए, जब से उसका वेतन कम कर दिया गया था, वह उत्तरदायी नहीं है। (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133)। **{$2^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) अंशों का आवंटन (Allotment of Shares)- कम्पनी न्यूनतम अभिदान जो कि प्रविवरण में उल्लिखित है उसका 80 प्रतिशत प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार कम्पनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 39(1) की अवहेलना करते हुए आवंटन किया है। धारा 39(1) के अनुसार कम्पनी जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता है। **{2 M}**

धारा 39(3) के अनुसार कम्पनी द्वारा प्राप्त राशि (न्यूनतम अभिदान का 80 प्रतिशत) को आवेदक को वापस लौटा दिया जाएगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है।

इसलिए वर्तमान केस में X का यह अधिकार है कि वह प्रतिभूतियों के आवंटन को मना कर सकते हैं जो कम्पनी द्वारा अवैध रूप से किया गया है। **{2 M}**

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

Answer:

(d) **वचन पत्र बनाने की क्षमता, आदि (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 26)**– प्रत्येक व्यक्ति, जिस विधि के अधीन वह अधीन है उसके अनुसार संविदा करने में सक्षम है, वह स्वयं को बाँध सकता है और वचन पत्र, स्वीकृति, अनुमोदन, सुपुर्दगी और वार्ता के निर्माण, विनिमय पत्र या चेक के द्वारा आबद्ध हो सकता है। **{2 M}**

हालांकि, एक नाबालिग इस तरह के उपकरणों को आकर्षित कर सकता है, समर्थन, वितरित और बातचीत कर सकता है ताकि सभी दलों को खुद को छोड़कर बाँध सके। **{1 M}**

प्रश्न में दिए गए तथ्यों के अनुसार, श्री एस. वेंकटेश ने एक नाबालिग, M के पक्ष में एक चेक रेखांकित किया है। M अपने किराए की बकाया राशि पत्र निपटान करने के लिए Mrs. A के पक्ष में चेक एंडोर्स करता है। चेक को तब अपमानित किया गया जब इसे Mrs. A ने धन की अपर्याप्यता के आधार पर बैंक को प्रस्तुत किया। यहाँ इस मामले में M नाबालिग होने के नाते खित का आहरण, समर्थन, परिपालन और परक्रामण कर सकता है ताकि वह अपने सिवाय सभी पक्षों को बाँध सके। इसलिए M उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार Mrs. A श्री एस. वेंकटेश से बकाया राशि एकत्र करने के लिए आगे बढ़ सकती है। **{2 M}**

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

Answer 3:

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार, जब तक कंपनी के लेख एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में एक बड़ी संख्या के लिए प्रदान नहीं करते हैं, पांच सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं यदि बैठक की तिथि के अनुसार सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं है, कोरम होगा। **{1 M}**

इस मामले में एक आम बैठक आयोजित करने के लिए कोरम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए 7 सदस्य हैं (5 या 7 से अधिक)। गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए केवल उन्हीं सदस्यों की गणना की जाती है जो बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित संकल्प पर मत देने के हकदार होते हैं। **{1 M}**

फिर से, केवल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्यों की गणना की जानी है न कि परोक्ष रूप से। इसलिए, प्रतिनिधि चाहे वे सदस्य हों या नहीं, उन्हें कोरम के प्रयोजनों के लिए बाहर करना होगा।

यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की सदस्य है, तो वह संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को बाद वाली कंपनी की बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य माना जाएगा और इस प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। कोरम। जहां दो या दो से अधिक कंपनियां, जो किसी अन्य कंपनी की सदस्य हैं, एक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती हैं, तो ऐसी प्रत्येक कंपनी को बाद वाली कंपनी की बैठक में कोरम के रूप में गिना जाएगा। **{1 M}**

इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल, यदि वह किसी कंपनी के सदस्य हैं, तो कंपनी की किसी भी बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसे वह उचित समझे। इस तरह नियुक्त व्यक्ति को ऐसी कंपनी का सदस्य माना जाएगा और इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य के रूप में माना जाएगा। **{1 M}**

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए केवल तीन सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

कोरम के प्रयोजन के लिए 'ए' को शामिल किया जाएगा। बी और सी को कोरम के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे वरीयता शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चूंकि एजेंडा प्रबंध निदेशक की नियुक्ति है, इसलिए उनके अधिकारों को सीधे प्रभावित नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, उनके पास मतदान अधिकार नहीं होंगे। डी के पास कोरम के उद्देश्य से दो वोट होंगे क्योंकि वह दो कंपनियों ग्रीन लिमिटेड और ब्लू लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करता है। ई, एफ, जी और एच को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे सदस्य नहीं हैं लेकिन सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। **{2 M}**

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि कोरम की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है और यह बैठक के लिए वैध कोरम का गठन नहीं करेगा।

Answer:

(b) निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, 134(3)(सी) में संदर्भित निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान यह बताएगा कि- **{1 M Each for Any 4 Points}**

(1) वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया था;

(2) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके। उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि;

(3) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

(4) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू संस्था के आधार पर तैयार किए थे; और

(5) सूचीबद्ध कंपनी के मामले में निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

(6) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

Answer:

(c) (i) कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के नियम 2(1)(ई) के अनुसार "पात्र कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में संदर्भित सार्वजनिक कंपनी से है। 2013, जिसकी नेटवर्थ एक सौ करोड़ रुपये से कम न हो या टर्नओवर पांच सौ करोड़ रुपये से कम न हो और जिसने एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से आम बैठक में कंपनी की पूर्व सहमति प्राप्त की हो और उक्त संकल्प भी दायर किया हो जमा की स्वीकृति के लिए जनता को कोई भी आमंत्रण देने से पहले कंपनी रजिस्ट्रार के साथ। **{1 M}**

बशर्ते कि एक योग्य कंपनी, जो धारा 180 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत निर्दिष्ट सीमा के भीतर जमा स्वीकार कर रही है, एक सामान्य संकल्प के माध्यम से जमा स्वीकार कर सकती है। **{1 M}**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के अनुसार विकी लिमिटेड की निवल संपत्ति की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:

प्रदत्त शेयर पूंजी:	रुपये 70 करोड़
फ्री रिजर्व:	रुपये 20 करोड़
प्रतिभूति प्रीमियम:	रुपये 20 करोड़
कुल:	रुपये 110 करोड़

{1 M}

इसलिए, विकी लिमिटेड एक पात्र कंपनी है, क्योंकि इसकी निवल संपत्ति रुपये 100 करोड़ से अधिक है।

अवधि जिसके लिए जमा स्वीकार किए जा सकते हैं: कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3(1)(ए) के अनुसार, कंपनी को स्वीकार या नवीनीकरण करने की अनुमति नहीं है। **{1 M}**

Answer:

(d) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निर्धारित तरीके से इक्कीस दिनों से कम स्पष्ट नोटिस देकर कंपनी की एक सामान्य बैठक बुलाई जा सकती है। साथ ही, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 21 स्पष्ट दिनों का मतलब है कि जिस तारीख को नोटिस दिया गया है और बैठक की तारीख को नोटिस भेजने के लिए बाहर रखा गया है। **{1/2 M}**

इसके अलावा, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 35(6) में प्रावधान है कि डाक द्वारा वितरण के मामले में, ऐसी सेवा चालीस की समाप्ति पर बैठक की सूचना के मामले में प्रभावी मानी जाएगी। पत्र पोस्ट किए जाने के आठ घंटे बाद। **{1/2 M}**

इसलिए, दिए गए प्रश्न में:

(i) 21 दिनों की स्पष्ट सूचना दी जानी चाहिए। दिए गए प्रश्न में, केवल 19 स्पष्ट दिनों का नोटिस दिया गया है (इसकी पोस्टिंग के समय से 48 घंटे और भेजने के दिन और बैठक की तारीख को छोड़कर)। इसलिए बैठक वैध तरीके से नहीं बुलाई गई।

(ii) जैसा कि ऊपर (i) में बताया गया है, नोटिस 2 दिनों से कम हो जाता है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 नोटिस देने में देरी की माफी के संबंध में कुछ भी विशिष्ट प्रदान नहीं करता है। अतः बैठक बुलाने की सूचना देने में विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। **{2 M}**

Answer 4:

(a) ''आवंटन'' का अर्थ किसी कम्पनी के पहले गैर–विनियोगित पूँजी में से निश्चित संख्या में व्यक्ति को अंशों को विनियोग करना है।

(1) किसी कम्पनी द्वारा जनता को प्रस्तावित प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हुआ हो, और ऐसी राशि की आवेदन पर देय राशि का भुगतान चेक अथवा अन्य प्रपत्र द्वारा होकर कम्पनी को प्राप्त हो चुका है। **{$2^{1/2}$ M}**

(2) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए आवेदन पर देय राशि नामांकित राशि के 5 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अथवा ऐसी अन्य प्रतिशत अथवा राशि जिसे SEBI द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(3) यदि उल्लिखित न्यूनतम राशि का, अभिदान नहीं हुआ है और प्रविवरण की तिथि से तीस दिन के अन्दर या अन्य ऐसी अवधि जिसे प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के अन्दर आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं हुई है, तब उप धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त राशि उतने समय के अंदर वापस कर दी जायेगी जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(4) आवंटन विवरणी का दाखिला–जब भी कोई अंशपूंजी वाली कम्पनी प्रतिभूतियों का आवंटन करती है, उसे निर्धारित विधि से रजिस्ट्रार को आवंटन विवरणी दाखिल करनी होगी। **{$3^{1/2}$ M}**

(5) प्रावधानों की अवहेलना पर अर्थदण्ड–अवहेलना की स्थित में कम्पनी और उसका प्रत्येक दोषी अधिकारी, प्रत्येक त्रुटि के लिए रुपये एक हजार प्रतिदिन की दर से त्रुटि की अवधि के लिए अर्थदण्ड, या रुपये एक लाख जो भी कम है अधिरोपित किया जायेगा।

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 84 के अनुसार प्रधान तथा तीसरे पक्ष के बीच एक अवयस्क भी एजेन्ट नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अवयस्क एजेन्ट को प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। **{$2^{1/2}$ M}**

यदि अनुबंध के अयोग्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है तो प्रधान तीसरे पक्ष के प्रति दायी होगा। **{$1^{1/2}$ M}**

इस प्रकार दिये गये प्रश्न में D को घड़ी का अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा। M, A के प्रति अपनी गलती अथवा असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं है। **{1 M}**

Answer:

(c) भ्रम और मिश्रण से बचने के लिए, प्रस्तावों को अलग–अलग प्रस्तावित किया जाता है। हालांकि, कुछ भी अवैध नहीं है यदि सभी के अध्यक्ष इच्छा करते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्रस्तावों को साथ में प्रस्तावित किया जाना चाहिए जब तक कि कोई भी सदस्य मांग नहीं करता कि प्रत्येक प्रस्ताव को मतदान के लिए अलग से रखना चाहिए या जब तक कि किसी के संबंध में मतदान की मांग नहीं की जाती है। **{3 M}**

एक मात्र ऐसा मामला जहॉ प्रस्ताव को अलग से प्रस्तावित कराया जाना चाहिए वह है कि जिसकी आवश्यकता है कि सार्वजनिक या प्राईवेट कम्पनी की आम सभा में निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में जहॉ दो या दो से अधिक निदेशकों का एक प्रस्ताव के द्वारा निदेशकों के रूप में नियुक्ति की जा सकती है।
जहॉ कई प्रस्तावों का नोटिस दिया गया है, प्रत्येक प्रस्ताव को अलग से रखा जायेगा हालांकि यदि सभा सभी प्रस्तावों को सर्वसहमति से स्वीकार करती है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। **{3 M}**
उपरोक्त दशा में सभी व्यवसायों को एक साथ सम्पादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो व्यवसाय निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित है, जिन्हें प्रथक प्रस्ताव पारित करके पास किया जायेगा। अन्य 7 व्यवसाय सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव द्वारा पारित किये जा सकते हैं।

Answer 5:

(a) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार, कंपनी के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को यह पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या अनुबंध से संबंधित आंतरिक कार्यवाही का सही तरीके से पालन किया जाता है, एक बार जब वे संतुष्ट हो जाते हैं कि लेन-देन मेमोरेंडम और एसोसिएशन के लेख के अनुसार है। हितधारकों को यह पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आवश्यक बैठक बुलाई गई थी और ठीक से आयोजित की गई थी या क्या आवश्यक प्रस्ताव ठीक से पारित किया गया था। वे यह मानने के हकदार हैं कि कंपनी नियमित रूप से इन सभी कार्यवाहियों से गुजरी है। **{3 M}**

सिद्धांत बाहरी सदस्यों को कंपनी से बचाने में मदद करता है और कहता है कि लोग यह मानने के हकदार हैं कि आंतरिक कार्यवाही कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार है। **{1 M}**

इनडोर प्रबंधन का सिद्धांत रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के विपरीत है। जबकि रचनात्मक नोटिस का सिद्धांत एक कंपनी को बाहरी लोगों से बचाता है, इनडोर प्रबंधन का सिद्धांत बाहरी लोगों को कंपनी के कार्यों से बचाता है। यह सिद्धांत रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के दुरुपयोग की संभावना के खिलाफ भी एक सुरक्षा कवच है। **{2 M}**

Answer:

(b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(16) के प्रावधानों के अनुसार, "प्रभार" का अर्थ किसी कंपनी या उसके किसी उपक्रम या दोनों की संपत्ति या संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में सृजित ब्याज या ग्रहणाधिकार है और इसमें बंधक शामिल है।
जब भी कोई कंपनी वित्तीय संस्थानों या बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण सहित ऋण के माध्यम से धन उधार लेती है, तो सुरक्षा के रूप में ऐसी संपत्ति या संपत्ति पर ऋणदाता के पक्ष में एक शुल्क बनाया जाता है। इस तरह का शुल्क कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अध्याय VI और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीकृत है। **{2 M}**
इस प्रकार, जब कृष (प्राइवेट) लिमिटेड सुरक्षा के रूप में स्टॉक और प्राप्य खातों की पेशकश करके वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करता है, तो ऋणदाता के पक्ष में ऐसी संपत्ति या संपत्ति पर शुल्क बनाना आवश्यक होता है। इसलिए, रुपये के लिए। 25 लाख वर्किंग कैपिटल लोन, इस पर चार्ज क्रिएट करना जरूरी है। **{2 M}**
कृष (प्राइवेट) लिमिटेड को रुपये के लिए शुल्क बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक निदेशक की व्यक्तिगत गारंटी पर 5 लाख का एडहॉक ओवरड्राफ्ट। चूंकि, चार्ज हमेशा कंपनी की संपत्ति या संपत्ति पर बनाया जाता है और निदेशक की व्यक्तिगत गारंटी कंपनी की संपत्ति या संपत्ति नहीं होती है।

Answer:

(c) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत नियुक्त एक लेखा परीक्षक कंपनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हों, जैसा भी मामला हो। लेकिन ऐसी सेवाओं में किसी वित्तीय सूचना प्रणाली की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन शामिल नहीं होगा। **{3 M}**
उक्त उदाहरण में, ए लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपने वैधानिक लेखा परीक्षक से कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए उपयुक्त वित्तीय सूचना प्रणाली के डिजाइन और कार्यान्वयन के कार्य को स्वीकार करने का अनुरोध किया। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार उक्त सेवा सख्त वर्जित है।

यदि वैधानिक लेखापरीक्षक कार्य को स्वीकार करता है, तो वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 147 में निर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा।
उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में, हम सांविधिक लेखापरीक्षक को सलाह देंगे कि वह ऊपर बताए गए कार्य को न करें। **{1 M}**

Answer:

(d) एजेंट का कर्तव्य सभी भौतिक परिस्थितियों का खुलासा करना और उसका कर्तव्य प्रिंसिपल की सहमति के बिना अपने खाते से सौदा नहीं करना है। समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 215 और 216 पर आधारित है। धारा 215 के अनुसार, यदि कोई एजेंट अपने मालिक की सहमति प्राप्त किए बिना और उसे सभी से परिचित कराए बिना, एजेंसी के व्यवसाय में अपने खाते से लेनदेन करता है। भौतिक परिस्थितियाँ, तो प्रिंसिपल लेन-देन को अस्वीकार कर सकता है। दूसरी ओर, धारा 216 में यह प्रावधान है कि, यदि कोई एजेंट, अपने मालिक की जानकारी के बिना, एजेंसी के कारोबार में अपने हिसाब से काम करता है, तो मालिक ऐसे किसी भी लाभ का दावा कर सकता है, जो इस तरह के एजेण्ट से प्राप्त हुआ हो। लेन-देन। इसलिए पहले उदाहरण में, हालांकि पंकज ने श्रुति को एजेंसी के व्यवसाय में अपने खाते पर कार्य करने की अनुमति देने के लिए अपनी सहमति दे दी थी, पंकज अभी भी बिक्री को अस्वीकार कर सकता है क्योंकि उसे खदान के अस्तित्व, एक भौतिक परिस्थिति का खुलासा नहीं किया गया था। **{2 M}**

दूसरे उदाहरण में, पंकज को पता था कि श्रुति अपने हिसाब से काम कर रही थी और यह भी कि खदान अस्तित्व में थी; इसलिए, पंकज धारा 215 के तहत लेन-देन को अस्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही, धारा 216 के तहत, पंकज श्रुति से किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता था कि श्रुति एजेंसी के व्यवसाय में अपने खाते पर काम कर रही थी। **{1 M}**

Answer 6:

(a) कंपनी अधिनियम 114 की धारा के अनुसार एक विशेष प्रस्ताव वैध रूप से तब पारित हुआ माना जायेगा, जब निम्नलिखित शर्ते पूर्ण हो जायें :

(1) प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित होगा यह बात सभा के नोटिस में दर्शानी होगी।
(2) सभा का नोटिस उचित रूप से सदस्यों को दे दिया जाना चाहिये।
(3) प्रस्ताव के पक्ष में आये हुए मत विपक्ष में आये हुए मतो का कम से कम तीन गुना होने चाहिये। **{$2^{1/2}$ M}**

जो सदस्य उपस्थित नहीं हुए हैं तथा जिन्होंने वोट नहीं किया है तथा अवैध मतो को कुल मतों में शामिल नहीं किया जायेगा। **{$1^{1/2}$ M}**

उपरोक्त दशा में प्रस्ताव के पक्ष में 20 मत आये हैं जबकि विपक्ष में 5 मत आये हैं और हम मानते हैं कि धारा 114 की बाकी शर्ते पूर्ण हो गयी, इसलिये सभा के अध्यक्ष का निर्णय सही है। **{1 M}**

Answer :

(b) (i) **अंश पूंजी में कमी के लिए प्रकिया :–**

एस.एस.पी. लि. द्वारा समता अंश के मूल्य में कमी के संबन्ध में, कम्पनी की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अन्तर्गत प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जो कि अंश पूंजी की कमी के संबन्ध में बताती है।

प्रकिया :–

(1) **विशेष प्रस्ताव द्वारा अंश पूंजी की कमी :–** कम्पनी के द्वारा आवेदन पर अधिकरण द्वारा पुष्टिकरण के विषय में, अंशों द्वारा सीमित कम्पनी या गारंटी द्वारा सीमित और अंश पूंजी होने पर कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा किसी भी तरीके में और विशिष्ट में अपनी अंश पूंजी कम कर सकेगी :–

(ए) अदत्त पूंजी के संबन्ध में किसी भी अंशों पर दायित्व को कम करना या नष्ट करना या
(बी) किसी भी अंशों पर या तो नष्ट कर या बिना नष्ट किए दायित्व को कम करना :– **{1 M}**
  (i) किसी भी अंश पूंजी को रद्द करना जो नष्ट है या उपलब्ध सम्पतियों द्वारा अप्रस्तुत है या
  (ii) किसी अंश पूंजी का भुगतान करना जो, कम्पनी के अधिकतम में है, उसके अंश पूंजी की राशि को कम करके और उसके अंशों के अनुसार सीमा नियम को परिवर्तित करना।

(2) अधिकरण द्वारा जारी सूचना :– अधिकरण प्रत्येक आवेदन पर जो केन्द्र सरकार, रजिस्ट्रार और कम्पनी के लेनदारों को नोटिस देगा और यह उसके द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा किए गए प्रतिवेदन (यदि कोई है तो) पर विचार करेगा।

(3) अधिकरण का आदेश – अधिकरण यदि संतुष्ट है कि ऋण या कम्पनी के प्रत्येक लेनदार के दावे जो मुक्त हो चुके है या निश्चित है या सुरक्षित हो चुके है उसकी अनुमति ली गई है तो उसे उचित लगने पर अंश पूंजी की कमी के लिए नियम और शर्तो पर एक आदेश दे सकता है। **{2 M}**

(4) अधिकरण के आदेश की पुष्टि का प्रकाशन :– अधिकरण द्वारा अंश पूंजी की कमी की सुनिश्चितता का आदेश कम्पनी द्वारा उसी तरीके से जैसा अधिकरण बताए प्रकाशित किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रार को पंजीकृत आदेश की प्रति देना :– कम्पनी द्वारा अधिकरण के आदेश की पंजीकृत प्रति दी जाएगी और मिनिट अधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार को आदेश की प्रति 30 दिन के भीतर दी जाएगी जो पंजीकृत होगा और प्रभाव के साथ प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(ii) **अंश पूंजी का परिवर्तन :–** एस.एस.पी. लि. ने उसकी अंश पूंजी में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। वर्तमान अधिकृत अंश पूंजी 5 करोड़ से परिवर्तित कर 4 करोड़ रूपये की जाएगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अनुसार एक अंशपूंजी वाली सीमित कम्पनी सीमा नियम के भाग के रूप में पूंजी परिवर्तित कर सकती है।

एक अंश पूंजी सहित कम्पनी, यदि अन्तर्नियम द्वारा अधिकृत हो तो, सामान्य सभा में अपने सीमा नियम को परिवर्तित कर सकती है :–

1. अंश को रद्द करना जिसे संदर्भ में प्रस्ताव को पारित करने की तिथि पर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया अथवा सहमत हुआ। और रद्द किए गए अंशों की राशि के द्वारा अंश पूंजी की राशि को कम करना। अंशों के रद्दीकरण को अंश पूंजी की कमी माना जाएगा। **{1 M}**
2. एक कम्पनी को अंशों के एकीकरण, परिवर्तन उप – विभाजन, शोधन या रद्दीकरण या स्कन्ध के पुनः परिवर्तन की सूचना परिवर्तित सीमानियम के साथ सम्बन्धित फॉर्म में 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को नोटीस देना होगा। (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 64) कम्पनी को उसके अधिकृत अंश में परिवर्तन के लिए उपरोक्त प्रक्रिया लागू करनी है।

Answer:

(c) ''दो या अधिक अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध के रूप में प्रावधान'' धारा 26, : जहां एक अधिनियम या चूक दो या अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करता है, तो अपराधी को या तो या किसी के तहत मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी होगा। उन अधिनियमों, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। **{$2^{1/2}$ M}**

इस प्रकार, श्री राम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(d) सामान्य वर्ग अधिनियम 1897 के अनुसार अचल सम्पत्ति में शामिल है :

(1) भूमि
(2) भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ
(3) भूमि से जुड़ी हुई चीजें
(4) भूमि से जुड़ी हुई चीजों के साथ स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें। **{2 M}**

यह केवल 4 तत्वों को शामिल करता है, इसलिये इस दशा में X ने जो लकड़ी Y को बेची है, वह उपरोक्त परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिये वह अचल सम्पत्ति नहीं है, जबकि चल सम्पत्ति है, परन्तु भूमि यहां पर अचल सम्पत्त्ति है, क्योंकि वह अचल सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। **{2 M}**

—**—